जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र. जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2021/ 1172 दिनांकः ~~09~~ 11.08.2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष
अध्ययनशाला/शासकीय/अशासकीय/महाविद्यालय,
संबद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः- कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कर परीक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करने के संवंध में निर्देश।

संदर्भः- अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1041/249/आउशि/शा-5 'अ'/2021 दिनांक 06.08.2021

***

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संबंध में स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर तथा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र जो कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 के ओपन बुक परीक्षा में अपरिहार्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो सके हैं, को द्वितीय अवसर के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र आपके महाविद्यालय को भी प्रेषित किया गया है।

इस तारतम्य में आपको सूचित किया जाता है कि छात्र हित में आप अपने महाविद्यालय में सूचना पटल पर अथवा अन्य प्रकार से सूचना प्रसारित कर छात्रों को अवगत करावें ताकि छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने वाले द्वितीय अवसर से वंचित न हों।

संलग्नः-उच्च शिक्षा विभाग का पत्र

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

उप-कुलसचिव (परीक्षा एवं गोपानीय)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 1041/249/आउशि/शा–5'अ'/2021 भोपाल, दिनांक 06/08/2021

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020–21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कर परीक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ– (1) उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय का आदेश क्रमांक 528/605/2021/38–3,भोपाल,दिनांक 31.03.2021

(2) कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 589/142/आउशि/शा–5'अ'/2021, दि. 4.5.2021

--0--

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर, द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर तथा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

निर्देशित किया जाता है कि कोरोना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020–21 में आयोजित ओपन बुक परीक्षा में अपरिहार्य कारण से विश्वविद्यालयवार जारी समय–सारणी अनुसार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये है, ऐसे स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर तथा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा अगस्त, 2021 के अंतिम सप्ताह में आयोजित कर उन्हें परीक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर. आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांक: 1042/249/आउशि/शा–5'अ'/2021 भोपाल, दिनांक 06/08/2021

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सहायक, मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. निज सहायक,अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. निज सहायक,कुलपति समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
7. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय आयोग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।
9. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

.......की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner